महत्वपूर्ण

संख्या–1061/नौ–9–2021–एल0सी0–21

प्रेषक,

डॉ0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,** स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. **समस्त जिलाधिकारी,** उ0प्र0।
3. **समस्त नगर आयुक्त,** नगर निगम, उ0प्र0।
4. **समस्त अधिशासी अधिकारी,** नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–9 **लखनऊ दिनांक30मई, 2021**

विषय–प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (पूर्व में नगरीय हेल्थ पोस्ट) आदि को मा0 महापौर, नगर निगम, मा0 अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/पार्षदगण/सभासदगण द्वारा गोद लेने हेतु अनुरोध करने/प्रेरित करने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत ही है कि कोविड–19 तथा अन्य संचारी रोगो के संक्रमण को रोकने, उपचार एवं Vaccination आदि में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (पूर्व में नगरीय हेल्थ पोस्ट) की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः नगरीय निकायों के क्षेत्रान्तर्गत स्थित ऐसे केन्द्रों के परिसर एवं उनके आस–पास के क्षेत्र की साफ–सफाई की व्यवस्था एवं विसंक्रमण (Sanitization) की कार्यवाही हेतु निर्देश शासनादेश संख्या–564/नौ–7–2021–27(ज)/2014टी0सी0–1, दिनांक–21.05.2021 द्वारा निर्गत किये गये है। उक्त के अतिरिक्त जनसामान्य की सुविधा के दृष्टिकोण से नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (पूर्व में नगरीय हेल्थ पोस्ट) के क्षतिग्रस्त पहुंच मार्गो के मरम्मत/पुनर्निर्माण के निर्देश भी शासनादेश संख्या–1057/नौ–9–2021–एल0सी0/21, दिनांक–27.05.2021 के माध्यम से निर्गत किये गये है।

2. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय निकायों के क्षेत्रान्तर्गत स्थित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (पूर्व में नगरीय हेल्थ पोस्ट) को गोद लेने (Adopt करने) के लिये मा0 महापौर, नगर निगम, मा0 अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत से अनुरोध किया जाय। उक्त केन्द्र जिन वार्डो में स्थित है उनके पार्षदगण/सभासदगण को भी गोद लेने हेतु प्रेरित किया जाय। इन केन्द्रों पर स्थित आधारभूत संरचना के सुधार में मा0 महापौर, नगर निगम, मा0 अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, स्थानीय निकाय निधि तथा राज्य वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग इस संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में अनुमन्यता की स्थिति में कर सकते हैं। उक्त निर्वाचित मा0 जनप्रतिनिधि इस कार्य में लब्ध प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग प्राप्त कर सकते है। मा0 महापौर, नगर निगम, मा0 अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/पार्षदगण/सभासदगण उक्त के अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं के सुधार हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय बनाते हुये विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी भी जनसामान्य को उपलब्ध कराने

RATAKAR SIR GOS NEWLY NOV 2020

एवं उसका लाभ उन्हे प्रदत्त कराने में आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करेंगे। वे Vaccination के लिये जनसाधारण को प्रेरित करने और उक्त समस्त कार्यवाही में स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जनसामान्य के मध्य सेतु के रूप में कार्य करेंगे। निदेशक, स्थानीय निकाय, दिनांक 30 जून 2021 तक ऐसे समस्त गोद लिये गये नगरीय स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची शासन को उपलब्ध करायेंगे। जिलाधिकारीगण इस निमित्त अपने स्तर से भी नगरीय स्थानीय निकायों के साथ बैठक कर इस महत्वपूर्ण पहल (Initiative) को गति प्रदान करेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

<u>प्रतिलिपि</u>– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
2. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. मा0 महापौर समस्त नगर निगम/मा0 अध्यक्ष, समस्त नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।
5. सहायक वेबमास्टर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डॉ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी)
विशेष सचिव।